FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **शौकीन वगै0** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ गोविन्दगढ़**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/55/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2024	पत्रावली श्री हीरालाल एएसआई, पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर के प्रा0पत्र दिनांक 30.05.2024 के आधार पर आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी शौकीन पुत्र नौरू निवासी कुरैशी मौहल्ला वार्ड नं0 15, फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात हरियाणा व शकील पुत्र कतलू खां जाति कुरैशी निवासी बहादरपुर थाना नगीना जिला नूंह मेवात हरियाणा जरिये अधिवक्ता द्वारा पेश कर जप्तशुदा 2 ऊंटनियां व 4 बच्चे ऊंट (नर) कुल 6 ऊंट को अन्तर्गत धारा 8 राज0 उंट अधिनियम 2015 एवं 9 व 11 पशु कुरता अधिनियम पुलिस थाना गोविन्दगढ़ को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु निवेदन किया था। जिस पर पुलिस थाना गोविन्दगढ़ से सुपुर्दगी के संबंध में रिपोर्ट तलब की गयी। दौराने तलबी रिपोर्ट श्री हीरालाल एएसआई द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर प्रा0पत्र दि0 30.05.2024 का पेश कर निवेदन किया है कि अभियोग संख्या 194/2024 अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 उंट अधिनियम 2015 एवं 9 व 11 पशु कुरता अधिनियम में जप्तशुदा जप्तशुदा 2 ऊंटनियां व 4 बच्चे ऊंट (नर) कुल 6 ऊंट को थाना परिसर में चारा पानी की व्यवस्था नहीं होने पर काश्तकार रशीद पुत्र अलीशेर जाति मेव निवासी डाबरी थाना गोविन्दगढ़ को अस्थाई सुपुर्दगी पर दे रखा है यदि किसी संस्था को सुपुर्द कर दिया जावे तो मुझे (अनुसंधान अधिकारी) कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण का निस्तारण किये जाने की कृपा करें। पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रा0पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

की धारा 7 (1) में स्पष्ट है कि "जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथ ऊंट की अभिरक्षा मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसी को सौंपी जा सकेगी, परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेंसी नहीं हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की रक्षा क्षेत्र के बाहर किसी भी ऐसी एजेंसी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे"

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक जब्तशुदा ऊंटों को प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों को दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी शौकीन व शकील का प्रा0पत्र ऊंटों की सुपुर्दगी बाबत खारिज किया जाता है तथा श्री हीरालाल, एएसआई, पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर के प्रार्थना पत्र दि0 30.05.2024 एवं ध्यान फाउण्डेशन के पत्र दिनांक 31.05.2024 के आधार पर राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) विधेयक 2015 की धारा 7 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा ऊंटों को ध्यान फाउण्डेशन नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत बडोदिया गोशाला, जयपुर राजस्थान को सुपुर्दगी में दिये जाकर न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर को पालनार्थ प्रेषित की जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)